

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग संख्या-62 पी० ए० के चैनेज 14.346 से 14.381 बांयी पटरी पर ग्राम चरखौला तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वनभूमि 0.114123 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/31275/2018)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1557/81-2-2022-800(38)/2022 दिनांक 6 अगस्त 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 30-08-2022 13:48:32

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
संस्कृत प्रवेश शासन।